

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल
क्रमांक 1250/7/एमसी/एनएचएम(6)/2020 भोपाल, दिनांक 11/08/2020

// आदेश //

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 के पत्र क्रमांक 10256/ एनएचएम/ एचआर/ 2020/ भोपाल, दिनांक 05/08/2020 एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की संदर्भिम टीप क्रमांक 184/संचिश/कोविड19/2020, दिनांक 27.7.2020 एवं संभागायुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 4017/विकास/2020/दिनांक 27.7.2020 के संदर्भ अनुसार कोविड महामारी की रोकथाम को हेतु शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में नवीन ब्लॉक एवं टीबी हॉस्पिटल में 240 एवं 100 बिस्तर की नई ईकाई स्थापित करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन हेतु अस्थायी नियुक्ति अवधि 3 माह (दिनांक 01/7/2020 से दिनांक 30/9/2020) के लिये जारी विज्ञप्ति क्रमांक./अधि0/ एनएचएम(6)/2020, भोपाल, दि0 27.7.2020 पर पीजीएमओ के 15 पदों के वाक ईन इन्टरव्यू में निम्नलिखित पीजीएमओ का चयन कर सशर्त नियुक्त किया जाता है। (अतिशीघ्र पंजीकरण 15 दिवस में प्रस्तुत करने)

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पदस्थापना का स्थल
1	डॉ विवेक अरोरा	श्री डॉ अशोक अरोरा	हमीदिया /टीबी अस्पताल

सेवा शर्तें

- उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल होंगे।
- यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में 3 माह के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
- अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ, अनुबन्ध एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवाप्रदाता कार्य दायित्व संभालेंगे।
- अनुबन्ध निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
- किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधीक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय की एनएचएम भाखा में पत्र जारी होने के दो दिवस में अनुबन्ध और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल
कर्मचारी क्रमांक 19900-06 / एमसी / एनएचएम(6) / 2020 भोपाल, दिनांक 11/08/2020
// आदेश //

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 के पत्र क्रमांक 10256 / एनएचएम / एचआर / 2020 / भोपाल, दिनांक 05/08/2020 एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की संदर्भिम टीप क्रमांक 184 / संचिश / कोविड19 / 2020, दिनांक 27.7.2020 एवं संभागायुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 4017 / विकास / 2020 / दिनांक 27.7.2020 के संदर्भ अनुसार कोविड महामारी की रोकथाम को हेतु शासकीय गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में नवीन ब्लॉक एवं टीबी हॉस्पिटल में 240 एवं 100 बिस्तर की नई ईकाई स्थापित करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन हेतु अस्थायी नियुक्ति अवधि 3 माह (दिनांक 01/7/2020 से दिनांक 30/9/2020) के लिये जारी विज्ञप्ति क्रमांक / अधि0 / एनएचएम(6) / 2020, भोपाल, दि 27.7.2020 पर एमओ के 144 पदों के वाक ईन इन्टरव्यू में निम्नलिखित एमओ का चयन कर नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पदस्थापना का स्थल
1	डॉ राकेश मनहर	श्री रामसिंह मनहर	हमीदिया / टीबी अस्पताल
2	डॉ अशी दुबे	श्री मनोज दुबे	हमीदिया / टीबी अस्पताल
3	डॉ राशा अनवर	श्री आसीफ अनवर	हमीदिया / टीबी अस्पताल
4	डॉ शिल्पा जैन	श्री किर्ती प्रकाश जैन	हमीदिया / टीबी अस्पताल

सेवा शर्तें

- उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल होंगे।
- यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में 3 माह के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- इन सेवाओं को नियमित अथवा सविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
- अधिष्ठाता, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों, अनुबंध एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवाप्रदाता कार्य दायित्व संभालेंगे।
- अनुबंध निष्पादन करने वाला व्यय संबन्धित सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
- किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधीक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यलय की एनएचएम भाखा में पत्र जारी होने के दो दिवस में अनुबंध और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल
11/08/2020

कमांक../एमसी/एनएचएम(6)/2020/

भोपाल, दिनांक 11/08/2020

प्रतिलिपी सूचनार्थ

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल
3. अधीक्षक , हमीदिया चिकित्सा भोपाल
4.संबन्धित आवेदक

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल